

प्रेषक,

अखिलेश दुबे

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,

जनपद-हाथरस

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

पत्रांक 60/xv- सिविल परिवार न्यायालय, हाथरस: दिनांक फरवरी 03, 2021

**विषय:-**स्वयं के ऑख के इलाज में देय हुई धनराशि चिकित्सीय प्रतिपूर्ति देयक/बिल प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ करने के संबंध में।

आदरणीय महोदय,

ससम्मान अनुरोध है कि मैंने ऑख के इलाज के संबंध में दिनांक 30-06-2020 को उमाशंकर दीक्षित जिला पुरुष चिकित्सालय उन्नाव में चिकित्सक को दिखाया था, जिनके द्वारा चश्मे के परिवर्तित पॉवर के अनुसार चश्मा लगाने को कहा गया था। मैंने दिनांक 08-07-2020 को चिकित्सक की परामर्श के अनुसार चश्मा बनवाया था। उसके पश्चात जनपद न्यायालय उन्नाव में श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्थानांतरण के कारण फाइनेन्शियल पॉवर तत्कालीन प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश, श्री अयाज अहमद को प्रदत्त किया गया था, जिनके अस्वस्थ होने व तत्पश्चात कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण जनपद न्यायालय उन्नाव में चिकित्सीय प्रतिपूर्ति हेतु देयक प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना सं० 1552/एडमिन(सर्विसेज)/2020 दिनांकित 05-08-2020 के अनुसार मेरा स्थानांतरण विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, उन्नाव से प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हाथरस के पद पर हो गया। मैंने दिनांक 14-08-2020 को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हाथरस का कार्यभार ग्रहण किया। मैंने माह अगस्त 2020 में चिकित्सीय प्रतिपूर्ति हेतु सारे प्रपत्र व पर्चे, वाउचर, बिल लेखा/सहायक लेखा लिपिक श्री मुकेश चंद्र श्रीवास्तव को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त करा दिया था। कुछ समय पश्चात श्री मुकेश चंद्र श्रीवास्तव अस्वस्थ हो गये और माह सितंबर 2020 में परीक्षण पर उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, जिस कारण प्रपत्र उन्हीं के पास/कार्यालय में उन्हीं के जानकारी में रखे रह गये और उनके स्वस्थ होकर आने के पश्चात अन्य आवश्यक कार्य के दबाववश उनके द्वारा समयावधि में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रपत्र तैयार नहीं किये जा सके। दिनांक 16-12-2020 को मुख्य चिकित्साधीक्षक बांगला जिला संयुक्त चिकित्सालय हाथरस को चिकित्सीय प्रतिपूर्ति दावे के परीक्षण हेतु प्रपत्र प्रेषित किये गये। माह जनवरी 2021 में मुख्य चिकित्साधीक्षक बांगला जिला संयुक्त चिकित्सालय हाथरस द्वारा दावे का परीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित किया गया। उसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का

4


बिल पत्रांक सं० 52/xv-सिविल हाथरस: दिनांकित 20-01-2021 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया। अतः उपरोक्त वर्णित विशेष परिस्थितियों में चिकित्सीय प्रतिपूर्ति बिल/दावा प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है।

अतः विन्नम निवेदन है कि उपरोक्त विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विलंब को माफ कराने/चिकित्सीय प्रतिपूर्ति देयक को कालातीत से छूट प्रदान कराने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक 03-02-2021

  
(अखिलेश दुबे)

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय

हाथरस।

संलग्नक-परिशिष्ट ग की मूलप्रति।